



2026:AHC:19097

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3776, वर्ष 2025

माहेनूर अंसारी
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : जीतेन्द्र कुमार उपाध्याय, पुनित भदौरिया
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री ओम आनंद, तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी को यह आदेश दिया जाए कि वह ग्राम रसूलपुर हबीबुल्ला, परगना मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर में स्थित सार्वजनिक उपयोग की भूमि/आराजी संख्या 37 (जिसका क्षेत्रफल 0.020 हेक्टेयर है) पर प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर हटाए;"

(ii) प्रतिवादी संख्या 4 को यह आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वह कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा पुनरीक्षण संख्या 177 वर्ष 2003 (राज्य बनाम नासिरुद्दीन और अन्य) में दिनांक 27.9.2007 को पारित 'रिमांड आदेश' के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्नमूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B (जो अब U.P. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 है) के तहत चल रही कार्यवाही को, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निस्तारित करे;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा संबंधित भूखंड पर किया गया अवैध अतिक्रमण हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्नमूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था; लेकिन अपील में, उस आदेश को निरस्त कर दिया गया और मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए तहसीलदार के पास वापस भेज दिया गया, परंतु इस वापसी आदेश के अनुपालन में तहसीलदार द्वारा अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

4. श्री ओम आनंद, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने, उप-जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद, गाजीपुर द्वारा दिनांक 27.1.2026 को भेजे गए निर्देश के आधार पर—जिसे अभिलेख पर लिया गया है—यह प्रस्तुत किया कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत निजी प्रतिवादी संख्या 6/नासीरुद्दीन के विरुद्ध वाद संख्या T202614290201663 के रूप में एक कार्यवाही पंजीकृत की गई है; जिसमें अगली तारीख 3.2.2026 निर्धारित है, अतः लंबित कार्यवाही के निस्तारण के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत दर्ज मामले के निस्तारण के लिए एक समय-सीमा के भीतर उचित निर्देश जारी किए जाएं, क्योंकि बेदखली की कार्यवाही वर्ष 2007 से ही लंबित है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, तहसील मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत उपर्युक्त कार्यवाही का निर्णय, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार और शीघ्रता से करें।

(न्यायमूर्ति चंद कुमार राय)

28 जनवरी 2026

सी. प्रकाश